प्रेस विज्ञप्ति

26/08/2015

रणदीप सिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज प्रेस में निम्न बयान जारी किया :–

'गलत प्रचार' और 'झूठी बयानबाजी' मोदी सरकार का दूसरा नाम बन चुकी है, जो अपने मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के 'मोदी गेट घोटाले', 'व्यापम घोटाले', 'पीडीएस घोटाले', 'चिक्की एवं कॉन्ट्रैक्ट अलोकेशन घोटाले' और 'झूठी शैक्षिक योग्यता घोटाले' में लिप्त है।

अर्थव्यवस्था टूट रही है। रूपया वेंटिलेटर पर आ गया है और डॉलर लगातार ऊपर जा रहा है। लगातार आठ महीनों से निर्यात में तेज कमी हो रही है और स्टॉक बाजार का एक दिन में ही इतना गिर गया, कि निवेशकों का लगभग 7 लाख करोड़ रुपया डूब गया। यह सब मोदी सरकार के कुशासन का जीता जागता सबूत है।

प्रधानमंत्री का 'मेक इन इंडिया' अभियान विफल हो गया है, और भाजपा की प्रपोगंडा मशीन विपक्ष पर प्रतिदिन एक झूठा आरोप लगा रही है। वह मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए खासकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को घेरने का प्रयास कर रही है। दो दिन पहले ही केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्रीमति स्मृति ईरानी ने अमेठी में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट पर आरोप लगाए हैं, जो उतने ही झूठे हैं, जितनी झूठी उनकी शैक्षिक योग्यता की डिग्रियां हैं।

नीचे दिए गए आंकड़े भाजपा के झूठे आरोप का पर्दाफाश करते हैं :–

1. यूपीएसआईडीसी के द्वारा 08/08/1986 को 65.57 एकड़ भूमि सम्राट बाईसिकल्स लिमिटेड को 90 साल की लीज़ पर अलॉट की गई। सम्राट बाईसिकल्स लिमिटेड ने डिफॉल्ट किया और यह लिक्विडेशन की प्रक्रिया में चली गई। कंपनी की भौतिक संपत्ति के साथ 65.57 एकड़ भूमि को दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीलाम कर दिया। राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) ने उच्च न्यायालय के द्वारा की गई नीलामी में हिस्सा लिया और 10.03.2011 को दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे सफल बोली लगाने वाला घोषित किया। उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति और उच्च न्यायालय के अधिकारिक लिक्विडेटर का पत्र यहां संलग्न है।

   उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आरजीसीटी ने 26.08.2011 को भूमि और संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विलेख को आरजीसीटी के नाम में हस्तांतरित करने की अनुमति 2015 में दी, जिसके बाद यह भूमि उप पंजीयक, गौरीगंज, जिला अमेठी में 27/02/2015 को आरजीसीटी के नाम में पंजीकृत की गई। वैधानिक हस्तांतरण 27/02/2015 मतलब हाल ही में लागू हुआ था, और संपत्ति प्रयोग में नहीं ली जा रही थी, इसलिए आरजीसीटी आने वाले समय में आगे की गतिविधि करेगा। आरजीसीटी यह संपत्ति बचे हुए 55 सालों तक ही रख सकता है और यह दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा की गई नीलामी में कंपनी के रूप में प्रवेश कर चुका है। अब यह पता चला है, कि खतौनी मतलब राजस्व रिकॉर्ड के कल्टिवेशन रिकॉर्ड में इस 66.57 एकड़ भूमि में से 49.50 एकड़ भूमि का हस्तांतरण सम्राट साईकल्स लिमिटेड के नाम में 1985 से काफी पहले ही 90 साल के लिए यूपी

स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पट्टेधारी के रूप में नहीं, बल्कि मालिक के रूप में किया गया था। यह एंट्री दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा इसकी नीलामी से सालों पहले की गई थी, जिसमें आरजीसीटी ने सफल बोली लगाई थी। यूपीएसआईडीसी के आग्रह पर एसडीएम, गौरीगंज, अमेठी ने 26 अगस्त 2015 को निम्न आदेश जारी किए:–

A) राजस्व रिकॉर्ड में यूपीएसआईडीसी के पक्ष में संशोधन; और

B) आदेश के पृष्ठ 2 पर एसडीएम ने 27/02/2015 को 90 वर्षों की लीज़ का अधिकार आईएफसीआई के पक्ष में करके इसे आरजीसीटी के पक्ष में लीज़ डीड को लागू करने की अनुमति दी।

राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन 90 सालों की लीज़ के बचे हुए समय के लिए पट्टेधारी के रूप में आरजीसीटी के अधिकार सुरक्षित करता है। एसडीएम, गौरीगंज़, अमेठी का दिनांक 26/08/2015 का आदेश संलग्न है।

2. यूपीएसआईडीसी यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट (यूपीएसआईडीए) और इसके अंतर्गत तय नियमों के अनुसार काम करती है। यूपीएसआईडीसी ने सैकड़ों संपत्तियों को इसकी सभी औद्योगिक सम्पदाओं में संस्थागत प्रयोग की अनुमति दी है। आरजीसीटी इस भूमि का प्रयोग यूपीएसआईडीसी से सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के बाद यूपीएसआईडीए और इसके अंतर्गत तय नियमों के अनुसार करेगा।
3. आरजीसीटी उत्तरप्रदेश में 42 जिलों में 14.50 लाख से अधिक महिलाओं के लिए विशाल 'महिला विकास कार्यक्रम' चलाता है। इसके अलावा आरजीसीटी लखनऊ और अमेठी में दो सुसज्जित 'आधुनिक नेत्र चिकित्सालयों' के साथ विशाल 'आई केयर प्रोग्राम' चलाता है। इन अस्पतालों में आज तक आंखों के 18 लाख से अधिक मरीजों का उपचार किया गया है और इसने आज तक आंखों की दृष्टि लौटाने वाली 2.20 लाख से अधिक सर्जरी की हैं। आरजीसीटी यूपी के 13 जिलों में ग्रामीण नेत्र शिविर आयोजित करता है और निशुल्क या अत्यधिक सब्सिडी युक्त 'नेत्र चिकित्सा' प्रदान करता है।

झूठ, गुमराह करने वाली बातें सच्चाई को बदल नहीं सकती हैं। हम मांग करते हैं, कि कांग्रेस को बदनाम करने की नीयत से किए गए झूठे प्रचार के लिए भाजपा बिना शर्त माफी मांगे।''